(7)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार यादव आर.ए.एस.

अपील सं. 22 / 2020

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सहायक अभियंता खारा जल संसाधन उपखण्ड, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये प्रभारी अधिकारी सुनील कुमार सहायक अभियंता खारा जल संसाधन उपखण्ड, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) संगरिया दिनांक 16.10.2020, बमुकदमा नंबर 40 / 2020, "स्टेट बनाम अधिशाषी अभियंता आदि अन्तर्गत धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 जिसकी रूह से चक 12 एसबीएन के पत्थर नंबर 172/204 (77) किला नंबर 4 व 5 में रास्ता की गैरमुमकिन भूमि पर नाजायज आड़ निकालने के दोषस्वरूप अपीलाण्ट पर मालगुजारी का 50 गुणा की दर से तावान राशि 10/– रूपये कायम की गई, बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश व स्वीकार किए जाने अपील।

अपील उपस्थितः– 1. श्री भवानी सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

–:निर्णयः–

दिनांकः – 27.09.2023

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 12 एसबीएन के काश्तकार मदनलाल द्वारा जल संसाधन विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि उसकी कृषि भूमि पत्थर नंबर 172/204 मुरब्बा नंबर 77 में किला नंबर 1 से 3 पड़ते है। इस रकबा के लिये नाका पत्थर नंबर 172/204 यानि किला नंबर 5 में स्वीकृत है उसके लिये किला नंबर 4–5 में से कालान्तर ही एक आड चल रही थी। चूंकि यह आड गैरमुमकिन रास्ता में होने के कारण उसे नियमानुसार आड दिलाकर गैरमुमकिन रास्ते चालू करवाया जावे। चूंकि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी मदनलाल द्वारा उपखण्डाधिकारी (भू अभिलेख) संगरिया को दिनांक 22.04.2020 को प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्डाधिकारी संगरिया द्वारा तहसीलदार को उचित कार्यवाही हेतु भिजवाया गया तथा आड व रास्ते संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ था। चूंकि उक्त आड़ करीब 40 वर्षो से उक्त रास्ते की भूमि से ही चली आ रही थी। अधीक्षण अभियंता द्वारा अपील निर्णय क्रमांक 8413 दिनांक 22.06.2020 को बीच फसल में काश्तकारों का हित प्रभावित नहीं करते हुए आड विवाद का निस्तारण किया जावे तथा इस आदेश की पालना में बीच फसल को देखते हुए अधिशाषी अभियंता के आदेश क्रमांक 518 दिनांक 24.06.2020 को सुनवाई का नोटिस जारी किया गया व अधिशाषी अभियंता के पत्र क्रमांक 592 दिनांक 03.07.2020 को जारी पत्र के अनुसार पत्थर नंबर 172/204 के नाका से शेष रकबा की भंग हुई सिंचाई व्यवस्था को चालू करने के लिए पत्थर नंबर 172 / 204 के किला नंबर 4–5 के उत्तरी बट पर गैरमुमकिन रास्ता के आंशिक रकबा में दाक्षेणी साईड के पूर्व से पश्चिम तक आड चालू करवाकर किला नंबर 3–4 के मध्य मौका पर चल रही आड़ दिनांक 15.10.2020 तक अस्थाई सिंचाई व्यवस्था तुरन्त बहाल करवाई जावे। इस पर सहायक

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अभियंता द्वारा उक्त किला नंबर 4 व 5 मे गैरमुमकिन रास्ता की आवागमन हेतु जगह छोड़ते हुए आंशिक भूमि पर अस्थाई आड की व्यवस्था कर चालू की गई। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट नगराना दिनांक 05.08.2020 के चक 12 एसबीएन के पत्थर नंबर 172/204 के मुरब्बा नंबर 77 के किला नंबर 1 ता 5 मे मंजूर शुदा रास्ता की भूमि मे खाला बनाकर रास्ता को बन्द किया हुआ था। उक्त रिपोर्ट कतई गलत व विधि विरूद्ध है लेकिन रेस्पोंडेट द्वारा कतई गलत रूप से चक 12 एसबीएन के पत्थर नंबर 172/204 (77) किला नंबर 4 व 5 मे रास्ता की गैरमुमकिन भूमि पर नाजायज आड निकालने के दोषस्वरूप अपीलाण्ट पर मालगुजारी का 50 गुणा की दर से तावान राशि 10/– रूपये कायम किये जाने का आदेश दिनांक 16.10.2020 को पारित किया गया। अपीलाण्ट उक्त आदेश दिनाक 16.10.2020 से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है।

अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं बिना किसी आधार के दिया गया होने के कारण अपास्त होने योग्य है। यह कि अपीलाण्ट के विभाग का यह कर्तव्य है कि समस्त काश्तकारों को सिंचाई व आड़ खाले की व्यवस्था नियमानुसार करवाई जावे व किसी भी काश्तकार की अविधिक रूप से सिंचाई व्यवस्था भंग न हो व सिंचाई के अभाव मे किसी भी काश्तकार की फसल नष्ट ना हो व बीच फसल में किसी काश्तकार की फसल को नुकसान पहुंचाते हुए आड की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसी के मध्य नजर चक 12 एसबीएन के पत्थर नंबर 172 / 204 (77) किला नंबर 4 व 5 मे चालू रास्ता की आवागमन हेतु सुचारू रूप से पर्याप्त भूमि छोड़ते हुए अस्थाई रूप से आड निकाली गई थी जबकि अपीलाण्ट ने इस रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया जबकि काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था हेतु आड़ की व्यवस्था करवाई गई थी, इस कारण आक्षेपित आदेश कतई गलत व सारहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट सहायक अभियंता खारा जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ संगम के पद पर पदस्थापित है। अपीलाधीन आदेश 16.10.2020 का ज्ञान होते ही 12.11.2020 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित हासिल की और उसके बाद भी राजकीय कार्यो में व्यस्तता के कारण अपीलांट दिनांक 03.12.2020 को बिना किसी देरी के अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपील को अंदर मियाद माने जाने का निवेदन किया।

अपनी बहस को जारी रखते हुए अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपील के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार संगरिया द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कि अपीलाट ने फसल खरीफ में गैर मुमकिन रास्ता भूमि में आंशिक भूमि पर नाजायज आड 330 गुणा 6 कुल 1980 वर्गफिट में निकलवाई जाकर चालू करवाई गई जो रास्ता की भूमि पर अतिचार है। अपीलांट को अतिचारी घोषित किया जाकर मालगुजारी का 50 गुणा की दर से तावान राशि 10.00 रूपये मात्र कायम किया जाकर गैर मुमकिन रास्ता भूमि से बेदखल कर नाजायज आड को हटवाये जाने के आदेश दिये गये है, जो कि विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाये।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपील

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 592 दिनांक 03.07.2020 को जारी पत्र के अनुसार पत्थर नंबर 172/204 के नाका से शेष रकबा की भग हुई सिंचाई व्यवस्था को चालू करने के लिए पत्थर नंबर 172 / 204 के किला नंबर 4–5 के उत्तरी बट पर गैरमुमकिन रास्ता के आंशिक रकबा में दक्षिणी साईड के पूर्व से पश्चिम तक आड चालू करवाकर किला नंबर 3–4 के मध्य मौका पर चल रही आड दिनांक 15.10.2020 तक अस्थाई सिंचाई व्यवस्था तुरन्त बहाल करवाई जावे आदेश पर सहायक अभियंता खारा जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ द्वारा उक्त किला नंबर 4 व 5 मे गैरमुमकिन रास्ता की आवागमन हेतु जगह छोड़ते हुए आंशिक भूमि पर अस्थाई आड की व्यवस्था कर चालू की गई। जबकि अपीलाण्ट ने इस रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया जबकि काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था हेतु आड़ की व्यवस्था करवाई गई, जो कि अस्थाई थी। उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2020 को अपास्त किया जाता है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार यादव)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)